न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 70/2019 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2019/00192

1. जीत सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति बावरी साकिन 5 के.एन.डी तहसील घडसाना (रावला) हाल पिपेरन तहसील सूरतगढ़।
2. दलीप सिह पुत्र नारायण सिंह जाति बावरी साकिन गुरूद्वारा के पास रावला हाल पिपेरन तहसील सूरतगढ़।
3. प्रीत कौर पुत्री नारायण सिंह जाति बावरी साकिन गुरूद्वारा के पास रावला तहसील घड़साना।
4. जीत कौर पुत्री नारायण सिंह जाति बावरी साकिन 41 एन.पी तहसील रायसिंहनगर।
5. मलकीत कौर पुत्री नारायण सिंह जाति बावरी साकिन गुरूद्वारा के पास रावला तहसील घड़साना।
6. अरतजीत कौर पुत्री नारायण सिह जाति बावरी साकिन बस स्टैण्ड के पास जैसलमेर। जरिये सभी मुखत्यारखास जीत सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति बावरी साकिन 5 के.एन.डी तहसील घड़साना(रावला) हाल पिपेरन तहसील सूरतगढ़।

– अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार।
2. भूराराम पुत्र मुखराम जाति जाट निवासो चक 2 पी.पी.एन तहसील सूरतगढ़।
3. महावीर प्रसाद पुत्र किशनलाल जाति जाट निवासी चक 2 पी.पी.एन तहसील सूरतगढ़।
4. किशनलाल पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी चक 2 पी.पी.एन तहसील सूरतगढ़।
5. रामकुमार पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी चक 2 पी.पी.एन तहसील सूरतगढ़।
6. पृथ्वीराज पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी चक 2 पी.पी.एन तहसील सूरतगढ़।
7. वलराज पुत्र कृष्णलाल जाति जाट निवासी चक 2 पी.पी.एन तहसील सूरतगढ़।

रेस्पोडेन्ट्स

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उपस्थितः श्री विजय कुमार पारीक — अभिभाषक अपीलांट्स
श्री गोविन्द राम डूडी — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 7

निर्णय

दिनांक 22.12.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 06.11.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादगत भूमि ग्राम चक 2 पी.पी.एन में कुल मुरब्बा नं. 132/62 व 152/6 में कुल अनकमाण्ड 22 बीघा 4 बिस्वा भूमि एवं मुरब्बा नंबर 132/62 में किला नंबर 13, 18 व 23 में 0.721 हैक्टयर भूमि दिनांक 17.08.1983 को अपीलांट के पिता नारायण सिंह को बतौर भूमिहीन आवंटित हुई। नारायण सिंह का देहान्त दिनांक 28.12.1994 को हो गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 7 ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 11/14 उपनिवेशन अधिनियम प्रस्तुत कर अपीलांट के पिता को आवंटित भूमि को रकवाराज घोषित करने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ ने अपीलांट के पिता को आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त कर रकबा राज घोषित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ के उक्त आदेश दिनांक 06.11.2019 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादगत भूमि अपीलांट के पिता को सक्षम अधिकारी द्वारा जरिये लाटरी बतौर भूमिहीन आवंटन हुई। अपीलांट के पिता मृतक नारायण सिंह को आवंटन के पश्चात आंवटित भूमि का नियमानुसार कब्जा लिया गया। कब्जा लिये जाने की राशि जमा करवाई गई। समस्त रिकॉर्ड में आंवटी का नाम दर्ज है। उक्त भूमि की तमाम किश्ते जमा करवा दी गई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने गलत शिकायत के आधार पर नियम को देखे बिना निर्णय पारित किया है। शिकायत कर्ता ने कहा था कि आवंटी का भूमि पर कब्जा नही है। कभी काश्त नही की है, गलत है क्योकि स्वयं शिकायतकर्ता ने पैरा नंबर 8 में कब्जा काश्त अपीलांट का माना है। अधीनस्थ न्यायालय ने सैक्शन 11 एवं 14 का अध्ययन ही नहीं किया। उक्त प्रावधान के तहत अगर कोई आवंटन तथ्य छुंपाकर करवाया जाता है तो उसमे उक्त प्रावधान लागू होते हैं। शिकायतकर्ता ने रंजिश के कारण

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

गरीब हरीजन के खिलाफ झूठी शिकायत पेश की क्योकि शिकयतकर्ता जबरन अपने नाम से भूमि करवाने के लिए हरिजनों के परेशान कर रहा था इस कारण मना करने पर उक्त शिकायत पेश की। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया है। अपीलांट पर गलत आक्षेप लगाये गये है। अपीलांट खेतीहर मजदूर है, अतिगरीब है जबकि मिथ्या कथन किया है कि व्यापार करते है। कोई प्रमाण पेश नही किया। अपीलांट ने किसी भी प्रकार से भूमि का इन्हे हस्तांतरण नही किया तथा सैक्शन 42 टिनेन्सी एक्ट के तहत भी शिकायतकर्ता अतिक्रमी थे। अधिनस्थ न्यायालय से साज बाज करके उक्त अपीलाधीना आदेश करवाये गये है क्योंकि अगर भूमि खारिज होती या यह एक्ट लागू होता तो सारी भूमि पर लागू होता। अतः अपील अपीलांट पेश कर अर्ज है कि अपील स्वीकार फरमाई जावें। आदेश अधिनस्थ न्यायालय निरस्त फरमावें व अपीलांट का भूमि आवंटन बहाल किया जावें या अन्य दादरसी मुफिद अपीलांट को प्रदान की जावें। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1994 पेज नं. 388 प्रस्तुत किया।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि उक्त वादगत भूमि अपीलांट के पिता नारायण सिंह को 17.08.1983 को आवंटित हुई। इसमें बाद में पत्थर संख्या 132/62 के किला नंबर 19 को निरस्त कर किला नंबर 23 की 1 बीघा आवंटन की दुरूस्ती करवाई गई। अपीलांट ने उक्त भूमि का विधिवत कब्जा प्राप्त नही किया गया व ना ही मौका पर काबिज है। इस भूमि में से चक 2 पीपीएन के पत्थर संख्या 132/62 के किला नंबर 13 में 10 बिस्वा, 18 में 1 बीघा, 23 में 1 बीघा भूमि पर रेस्पोडेन्ट के मकानात बने हुए है। विधुत सम्बंध मकानों में पुराने लगे हैं। कच्ची–पक्की सड़क, पानी की टंकी, बाडे आदि बने हुए है। यह भूमि कृषि कार्य के उपयोग में नही आ रही है, शेष आंवटित भूमि पर भी आवंटी का कब्जा नहीं है, इसलिए रेस्पोडेन्ट ने आवंटन नियमों के अनुसार आंवटित भूमि के चक में रिहायश नहीं होने, आंवटन के समय से लगातार आंवटन शतों का उल्लघन होने व आवंटिती का पेशा काश्तकारी नहीं होने से आवंटन निरस्त कर उक्त वादगत भूमि को रकबाराज घोषित किया जावें। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावें और अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावें।

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज तथा अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने अपने आदेश दिनांक

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

06.11.2019 ने अपीलांट के पिता को आवंटित भूमि पत्थर संख्या 132/62 की 12 बीघा अनकमाण्ड भूमि व पत्थर संख्या 152/6 की कुल 22.04 बीघा भूमि एवं उसके बाद पत्थर संख्या 132/62 के किला नंबर 19 के स्थान पर किला नंबर 23 की 1 बीघा भूमि के आवंटन में से पत्थर नं. 132/62 के किला नंबर 13/0.253 हैक्टयर भूमि, 18/0.253 हैक्टयर भूमि, 23/1 में 0.215 हैक्टयर भूमि कुल 0.721 हैक्टयर कमाण्ड एवं अनकमाण्ड भूमि को अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 14 के अंतर्गत निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की कुल भूमि के से 0.721 हैक्टयर भूमि को ही काश्त नही करने एवं कब्जा नही होने के आधार धारा 14 उपनिवेशन अधिनियम 1954 निरस्त किया हैं एवं तहसीलदार एवं हल्का पटवारी रिपोर्ट में उक्त वादगत भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा एवं शेष तमाम भूमि पर कब्जा काश्त आवंटी के वारिसान का हैं। किसी के अतिक्रमण के आधार पर आवंटन निरस्त किया जाना नियमानुसार उचित नहीं है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ को अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.11.2019 को निरस्त किया जाता है तथा उक्त प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ को उक्त प्रकरण में संबंधित सभी पक्षों को सुनकर एवं पूर्ण जांच कर विधिसम्मत आदेश पारित करें।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 22.12.2025 का लिखिवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायालय संभागीय आयुक्त बीकानेर